13/10/25 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष
वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। अवलोकन
उपरान्त वाद-पत्र का अध्ययन किया तथा
वकील वादी की बहस पर मनन किया
गया। वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया
जाकर डिक्री किया जाता है। निर्णय
अलग से लिखा जावे शा० लि० किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर नम्बर से
कम हो। बाद प्राप्ति तामील दाखिल दफ्तर
हो।

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली-बहरोड़ राज.

पीठासीन अधिकारी :- रामकिशोर मीना-II (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना न० :- 78 / 2024

दायर दिनांक :- 24.05.2024

निर्णय दिनांक :- 13/10/25

उनवान

1. हरफूल पुत्र भौरेलाल पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
2. इन्द्राज पुत्र भौरेलाल पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
3. रामनिवास पुत्र भौरेलाल पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
4. धूडाराम पुत्र भौरेलाल पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
5. रामशरण पुत्र भौरेलाल पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
6. सांवतराम पुत्र दाताराम पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
7. कृष्ण पुत्र दाताराम पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
8. हनुमान पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
9. गुरूदयाल पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
10. कैलाश पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
11. सुवालाल पुत्र अडीसाल पौत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
12. पप्पू पुत्र अड़ीसाल पौत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
13. हंसराज पुत्र अड़ीसाल पौत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
14. राजू पुत्र अड़ीसाल पौत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
15. मुकेश पुत्र अड़ीसाल पौत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड।

......वादीगण

बनाम्

1. बंशी पुत्र अर्जुन जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील नालोता तहसील बहरोड।
2. बाबूलाल पुत्र श्योदयाल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
3. मूला पुत्र अर्जुन जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील नालोता तहसील बहरोड।
4. महेन्द्र सिंह पुत्र कृष्ण कुमार जाति गुर्जर निवासी निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
5. लालाराम पुत्र श्योलाल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
6. सुन्दरलाल पुत्र कृष्ण कुमार जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
7. सुनिता देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
8. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा बहरोड़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. बर्डोद राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा बहरोड जरिर्ये शाखा प्रबन्धक।

........असल प्रतिवादीगण

10. तहसीलदार साहब बहरोड़ बहैसियत होल्डर बहरोड़ जिला कोटपूतली-बहरोड़।

.....तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी.

उपस्थित :-

1. श्री रामपाल शर्मा अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री दुश्यन्त शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

-: निर्णय :-

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम नालोता, तहसील बहरोड़, जिला

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

कोटपूतली बहरोड के रहने वाले हैं तथा आराजी मुतनाजा वाके ग्राम नालोता में स्थित है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 526 रकबा 9 बिस्वा हाल नम्बर 783 रकबा 10 एयर वादी संख्या–1 लगायत 7 का सम्पूर्ण हिस्सा व साबिक खसरा नम्बर 701 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा हाल नम्बर 847 रकबा 13 एयर में वादी संख्या 1 लगायत 7 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 8 लगायत 15 का 1/2 हिस्सा वाके मौजा नालौता. तहसील बहरोड़ में स्थित है जिसे आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया गया है। उपरोक्त आराजीयात पहले वादीगण के नाम दर्ज थी तथा वादीगण इसके खातेदार काश्तकार थे, अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं था जिसमें से ख.नं. गत 527 रकबा 9 बिस्वा ब 526 को उसमें मिला दिया. इन दोनों को यदि जोड़ किया जावे तो कुल जमीन 18 बिस्वा बनती है लेकिन इसमें जब खसरा नम्बर 526 को मिलाने से यह समस्त आराजी ख.नं. 783 प्रतिवादीगण के नाम चली गई जबकि प्रतिवादीगण का उपरोक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं था। उपरोक्त इन्द्राजात सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट किया गया, सेटलमेन्ट विभाग को इस प्रकार से इन्दाजात को बदलने का अधिकार नहीं है. इसलिए विधि विरूद्ध है व काबिल खारिज है।

वादीगण को गलत इन्द्राजात का इल्म तब हुआ जब यह किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए उपरोक्त आराजीयात के दस्तावेज निकलवाने पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का ने कहा कि यह आरांजीयात आपके नाम दर्ज नहीं है जिसकी नकल निकलवाने से उक्त गलत इन्द्रात 'की जानकारी हुई। दौराने दावा प्रतिवादीगण ने बैंक में रहन रखकर विवादित आराजी ख०नं० हाल 847 व 783 वाके ग्राक नालोता तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतलीं बहरोड़ पर केसीसी लोन भरतीय स्टेट बैंक शाखा बहरोड़ तथा बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बहरोड से लेकर उपरोक्त विवादित नम्बरों को जानबूझकर रहन रखकर अदालत को व वादीगण को बिना जानकारी दिये तथ्यों को छुपाते हुए कृत्य किया है। चूंकि अब उपरोक्त खसरा नम्बरान पर बैंक द्वारा रहन लिया जा चुका है इसलिए प्रतिवादीगण के अन्य स्वयं के खातेदारी के हाल ख0नं0 437, 480, 492, 586, 598, 599, 630, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 739, 740, 783, 847, 848, 849, 879, 910, 407, 408, 409, 446, 474, 475, 493, 516, 517, 518, 433 कुल किता 32 कुल रकबा 8.60 है० वाके मौजा नालोता, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली बहरोड़ में स्थित है जिन पर प्रतिवादीगण की खुद की हाल रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है इसलिए दावा में दर्ज विवादित खसरा नम्बर हाल 783 रकबा 10 एयर व 847 रकबा 13 एयर पर जो बैंक रहन है उसको दीगर नम्बरों पर (उपरोक्त) ट्रान्सफर किया जाना न्यायसंगत है।

अतः मैं प्रभु से निम्नलिखित दादरसी प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ: कि डिग्री इस्तकरारहक बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे के आराजी ख.नं. गत 526 रकबा 9 बिस्वा हाल नम्बर 783 रकबा 10. एयर अकेला वादी संख्या–1 लगायत 7 का सम्पूर्ण हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा मुताबिक बहामी बंटवारा वही काबिज हैं व साबिक खसरा नम्बर 701 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा हाल नम्बर 847 रकबा 13 एयर में वादी संख्या–1 लगायत 7 का 1/2 व वादी संख्या 8. लगायत 15 का 1/2 हिस्सा वाके मौजा नालौता, तहसील बहरोड में स्थित है. उपरोक्त दोनों ख.नं. प्रतिवादीगण के खाते से हटाया जाकर वादीगण के खाते में दर्ज किंया जावे तथा हाल कागजात माल में दुरूस्त किया जावे। नीज इन्द्राजात सेटलमेन्ट विभाग सम्वत 2042 खिलाफ कानून खिलाफ मौका है वादीगण के अधिकारों पर बातिल व बेअसर है. काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे एवं डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी बहक वादीगण खिलाफ असल प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि दौराने दावा प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजीयात को कहीं दीगर जगह रहन बय मुन्तकिल ना करें,

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

वादीगण के उपयोग उपभोग, कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा ना करें, ऐसा वह ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी नौकरान, ऐजेन्टान, वारिसान द्वारा करावें, मौका व रिकार्ड की यथा स्थितिं बनाये रखें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय द्वारा जारी सम्मन कि पालना में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2034 में ग्राम नालोता प्रदर्श–8 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 701 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा गणेश बीरबल पि0 पेमा सम्भाग गुर्जर साकिन देह दर्ज है। जिससे हाल खसरा नम्बर 847 रकबा 0.13 है0 ग्राम नालोता बनाया गया।उक्त खसरा नम्बर हाल जमाबन्दीयात में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जो भू–प्रबन्ध द्वारा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया है। साबिक रिकार्ड में मुताबिक वादीगगण के बुजुर्गो के नाम रही है। खसरा नम्बर हाल 783 के बाबत् प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही आये। जिससे उनकी वादगत आराजी में कोई रूचि नही होना प्रकृट करता है। इस प्रकार से वादीगण का वाद पत्र पूर्णतया : सिद्व पाया जाता है।

–: आदेश :–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 783 रकबा 10 एयर में वादी संख्या–1 लगायत 7 को सम्पूर्ण हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 847 रकबा 13 एयर में वादी संख्या–1 लगायत 7 का 1/2 व वादी संख्या 8 लगायत 15 का 1/2 हिस्सा वाके मौजा नालौता, तहसील बहरोड में स्थित है, उपरोक्त दोनों ख.नं. प्रतिवादीगण के खाते से हटाया जाकर वादीगण के खाते में दर्ज किंया जाने के आदेश दिये जाते है तथा हाल कागजात माल में दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 13/10/25 को यह निर्णय मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

(...किशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना न. :– 78 / 2024

दायर दिनांक :– 24.05.2024

निर्णय दिनांक :– 13/10/25

उनवान

1. हरफूल पुत्र भौरेलाल पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
2. इन्द्राज पुत्र भौरेलाल पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
3. रामनिवास पुत्र भौरेलाल पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
4. धूड़ाराम पुत्र भौरेलाल पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
5. रामशरण पुत्र भौरेलाल पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
6. सांवतराम पुत्र दाताराम पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
7. कृष्ण पुत्र दाताराम पौत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
8. हनुमान पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
9. गुरूदयाल पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
10. कैलाश पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
11. सुवालाल पुत्र अडीसाल पौत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
12. पप्पू पुत्र अड़ीसाल पौत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
13. हंसराज पुत्र अड़ीसाल पौत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
14. राजू पुत्र अड़ीसाल पौत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
15. मुकेश पुत्र अड़ीसाल पौत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।

......वादीगण

बनाम्

1. बंशी पुत्र अर्जुन जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील नालोता तहसील बहरोड़।
2. बाबूलाल पुत्र श्योदयाल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
3. मूला पुत्र अर्जुन जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील नालोता तहसील बहरोड।
4. महेन्द्र सिंह पुत्र कृष्ण कुमार जाति गुर्जर निवासी निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
5. लालाराम पुत्र श्योलाल जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
6. सुन्दरलाल पुत्र कृष्ण कुमार जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड़।
7. सुनिता देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति गुर्जर निवासी नालोता तहसील बहरोड।
8. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा बहरोड जरिये शाखा प्रबन्धक।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

9. बर्डोद राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा बहरोड जरिये शाखा प्रबन्धक।

........असल प्रतिवादीगण

10. तहसीलदार साहब बहरोड बहैसियत होल्डर बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।

.....तरतीबी प्रतिवादी

<u>दावा इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी,</u>

उपस्थित :–

1. श्री रामपाल शर्मा अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री दुश्यन्त शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 783 रकबा 10 एयर में वादी संख्या–1 लगायत 7 को सम्पूर्ण हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 847 रकबा 13 एयर में वादी संख्या–1 लगायत 7 का 1/2 व वादी संख्या 8 लगायत 15 का 1/2 हिस्सा वाके मौजा नालौता, तहसील बहरोड में स्थित है, उपरोक्त दोनों ख.नं. प्रतिवादीगण के खाते से हटाया जाकर वादीगण के खाते में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा हाल कागजात माल में दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 13/10/25 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

ना–II)
एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)